न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 24 / 2022

1 भंवरलाल पुत्र स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
2 प्रहलाद राय पुत्र स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
3 नरेश कुमार पुत्र स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
4 बनारसी पत्नी स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
5 बिमला पुत्री स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
6 मुन्नी पुत्री स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
7 किरण पुत्री स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी समस्त जाति माली निवासीगण सैनी छात्रावास के पीछे वार्ड नम्बर 45 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सजना देवी पत्नी स्व. महाबीर प्रसाद सैनी
2 दीपा पुत्री स्व. महाबीर प्रसाद सैनी
3 दीपति पुत्री स्व. महाबीर प्रसाद सैनी
4 गौरव पुत्र स्व. महाबीर प्रसाद सैनी
5 सज्जन पुत्र स्व. भूदाराम उर्फ बुद्धराम सैनी
समस्त जाति माली निवासीगण सैनी छात्रावास के पीछे वार्ड नम्बर 45 नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. उनवानी मुकदमा सजना देवी आदि बनाम भंवरलाल आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 52/2021 जीएसएस नम्बर 2021/315

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सिगोदिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण सजना आदि के द्वारा दिनांक 16.06.2021 को दावा व उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसमें इस आशय के कथन दर्ज किये गये कि ग्राम नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 2.83 हैक्टेयर, 456 रकबा 0.09, 457 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 4.10 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसके आवेदकगण एवं अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें 1/9 हिस्सा की खातेदारी आवेदकगण की है और मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवेदकगण महावीर प्रसाद के वारिसान है जिनकी मृत्यु उपरांत भमि विरासत में प्राप्त हुई है अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है शामलाती रूप से काश्त करते है अनावेदकगण की नियत खराब हो गई है और आवेदकगण को हक हिस्से से वंचित करना चाहते है

अनिल कुमार II RAS
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू प्रबन्ध • सीकर •

आवेदक नम्बर 1 विधवा व असहाय औरत है जिसका अनुचिंत फायदा अनावेदगण उठाना चाहते है। बाद तामील अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया और बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि तादौराने राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने जवाब प्रस्तुत कर यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 जिन खसरा नम्बरान के संदर्भ में श्रीमान जी के समक्ष दावा लेकर आये है उन खसरा नम्बरान के बाबत पहले से ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 के पूर्वज स्व. श्री भूदाराम उर्फ बुद्धराम के द्वारा घोषणार्थ स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्त रिकार्ड का पेश किया गया था जो उनवानी भुदाराम बनाम मांगेलाल आदि मुकदमा नम्बर 233/2012 श्रीमान की अदालत में विचाराधीन है और दौरान दावा भुदाराम का देहान्त हो जाने से उनके स्थान पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 वादी के रूप में पक्षकार बनाकर उक्त दावे को कन्टेस्ट करते चले आ रहे है। उन्हीं खसरा नम्बरान की भूमि के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के द्वारा पुनः यह दावा प्रस्तुत किया गया जो कानूनन सुनवाई योग्य नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 456, 457 कस्बा नवलगढ़ की सरहद में स्थित है इनके पुराने खसरा नम्बर क्रमशः 1277 व 1278 है जिनका राजस्व रिकार्ड तो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 के नाम से दर्ज चला आ रहा है लेकिन इन खसरा नम्बरान की भूमि पर अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने स्थित स्पष्ट कर दी थी कि उक्त दावा कानूनन मैन्टेनेबल नहीं है जब तक पूर्व का वाद भुदाराम बनाम मांगीलाल आदि का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इस गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4

अनिल कुमार RAS
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

के द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह धारा 10 सीपीसी के तहत रोका जाना न्यायोचित होगा। विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 4 के द्वारा नहीं रखा गया कि उनके हिताधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि में अपीलान्टस किसी प्रकार की दखलअन्दाजी कर रहे हो जबकि मौके पर सभी खातेदारान ने अपने अपने हिस्से की भूमि को हो जबकि मौके पर सभी खातेदारान ने अपने अपने हिस्से की भूमि को बाहमी बंटवारे के आधार पर विभाजित कर रखा है और अपने हिस्से की भूमि पर अपनी सुविधा के अनुसार काश्त एवं निर्माण कर आबाद है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पैत्रिक भूमि में प्रत्येक वारिस का उसके हिस्से अनुसार स्वामित्व एवं कब्जा होता है इसलिए अविभाजित पैत्रिक सम्पत्ति के बाबत अन्य किसी सह खातेदार को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु पाबन्द नहीं करवाया जा सकता। अपीलान्टस अपने हक हिस्से पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपनी भूमि की उपज बढ़ाने के लिए इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले प्रोत्साहन एवं कार्यो के साथ ड्रीपिंग सिस्टम, सोलर एनर्जी ट्यूबवैल आदि स्थापित करने हेतु अग्रसर हो रहे है तो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त कार्यवाही नहीं होने देना चाहते है और झूठे आधारों पर दावा प्रस्तुत कर अपीलान्ट को तंग परेशान कर रही है इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 16.06.2021 एवं 25.02.2022 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से साबित है कि आवेदकगण द्वारा वाद पत्र में घोषणार्थ व विभाजन की सहायता चाही है। वाद पत्र में आवेदकगण व अनावेदकगण दोनों के हक अधिकार प्रकरण में विधिवत साक्ष्य सबूत, सुनवाई के पश्चात ही तय होंगे। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि में आवेदकगण का प्रत्येक इंच पर हित निहित है। इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

आवेदकगण भूमि के 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जो प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है। अविभजित भूमि के सहखातेदारान होने तथा हित निहित होने से सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में ही बनता है। आवेदकगण अविभाजित भूमि के सहखातेदार है तथा अविभाजित सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। भूमि में बिना विधिवत विभाजन करवाये, कोई परिवर्तन, निर्माण कार्य, किस्म परिवर्तन किया जाता है तो आवेदक को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से साबित है कि आवेदकगण द्वारा वाद पत्र में घोषणार्थ व विभाजन की सहायता चाही है। वाद पत्र में आवेदकगण व अनावेदकगण दोनों के हक अधिकार प्रकरण में विधिवत साक्ष्य सबूत, सुनवाई के पश्चात ही तय होंगे। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि में आवेदकगण का प्रत्येक इंच पर हित निहित है। इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है।

आवेदकगण भूमि के 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जो प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है। अविभजित भूमि के सहखातेदारान होने तथा हित निहित होने से सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में ही बनता है। आवेदकगण अविभाजित भूमि के सहखातेदार है तथा अविभाजित सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार

अनिल कुमार RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी • सीकर •

का प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

भूमि में बिना विधिवत विभाजन करवाये, कोई परिवर्तन, निर्माण कार्य, किस्म परिवर्तन किया जाता है तो आवेदक को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)